अज अदालत – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

भागीरथ बनाम रामनाथ आदि

किस्म मुकदमा : अपील सं0 31/2019 धारा–75 एल.आर.एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9.7.19	पत्रावली प्रस्तुत हुई है । यह अपील तहसीलदार छत्तगरढ के पत्र दिनाक 19.3.19 जो राजस्व अपील अधिकारी के आदेश की पालना में पटवारी हल्का घेघड़ा के निमित जारी हुआ, तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का को दिये गये मार्गदर्शन दिनांक 22.3.19 तथा तहसीलदार छत्तरगढ द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं. 168 दिनांक 29.3.19 के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । प्रथमतः अपील में क्षेत्राधिकार बिन्दु तय करना उचित समझते हैं । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 2.7.13 की पालना में उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 29.11.16 द्वारा अपीलान्ट को चक 1आरजेडी–ए के मु0नं0 238/36 की 25 बीघा व मु0नं0 238/44 की 22.10 बीघा कुल 47.10 बीघा अनकमाण्ड शुध्द आराजी राज भूमि का आवंटन किया गया । इसी दौरान रेस्पोन्डेंट द्वारा वादगत भूमि अपने पिता आदूनाथ पुत्र बालनाथ को आवंटन होना कथन करके राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दिनाक 28.9.18 को वादगत भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का आदेश प्राप्त कर लिया, अपीलान्ट ने राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.9.18 के विरुध्द मा0राजस्व मण्डल में निगरानी दायर की जो तकनीकी आधार पर दिनांक 11.3.19 को खारिज कर दी गयी। जिस पर रेस्पोन्डेंट ने दिनांक 14.3.19 को तहसीलदार छत्तरगढ के समक्ष राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर व राजस्व मण्डल के आदेशों की पालना में अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया । दिनांक 19.3.19 को अपीलान्ट ने भी तहसीलदार छत्तरगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि अपीलान्ट को आवंटित है तथा मौके पर काबिज है इसलिए रेस्पोन्डेंट के नाम से इन्तकाल दर्ज नहीं किया जावे । किन्तु तहसीलदार छत्तरगढ द्वारा सभी तथ्यों को दरकिनार कर दिनांक 29.3.19 को रेस्पोन्डेंट के नाम इन्तकाल सं0 168 गलत रुप से स्वीकृत कर दिया गया, जबकि अपीलान्ट की मा0राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 11.3.19 के विरुध्द नजरसानी प्रस्तुत होकर विचाराधीन है । अतः तहसीलदार छत्तरगढ का आदेश व इन्तकाल निरस्त योग्य होने से पालना स्थगित की जावे । राजकीय अभिभाषक श्री सुभाष सहू का कथन है कि प्रकरण में विवादित भूमि चक 1आरजेडी के मु0नं0 238/36 की 25 बीघा व मु0नं0 238/44 की 22.10 बीघा कुल 47.10 बीघा अनकमाण्ड भूमि का दिनांक 3.3.1984 को प्रथमतः रेस्पोन्डेंट के पिता आदूनाथ को आवंटन हुआ था, जो राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.9.18 व संशोधित 12.11.18 द्वारा बहाल रखा गया है । अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.9.18 व 12.11.18 के विरुध्द मा.राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी पेश की गयी थी, जो पोषणीय नहीं होने के कारण दिनांक 11.3.19 को खारिज हो चुकी है । पटवारी हल्का घेघड़ा की रिपोर्ट दिनांक 22.3.19 में उक्त विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आराजी राज होने के आधार पर रेस्पोन्डेंट के नाम से नामान्तरकरण सं0 168 दिनांक 29.3.19 दर्ज करने का आदेश दिया गया है । अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में मूल आदेश के विरुध्द अपील पेश नहीं की गयी है, अतः अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकार बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे । संभागीय आयुक्त बीकानेर 1	

हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 में निदेशक, भू–अभिलेख के यहां प्रथम अपील प्रस्तुत करने के निम्नप्रकार से प्रावधान दिये गये हैं :–

धारा–75–1(एफ): to the Director land Records from an original order passed by a land Records officer in matters connected with land records.

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–75 में दिये गये उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख से सम्बन्धित भू–अभिलेख अधिकारी के मूल आदेश के विरुध्द निदेशक, भू–अभिलेख के यहां धारा–75–1(एफ) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है । अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील तहसीलदार छत्तगरढ के पत्र दिनाक 19.3.19 जो राजस्व अपील अधिकारी के आदेश की पालना में पटवारी हल्का घेघड़ा के निमित जारी हुआ, तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का को दिये गये मार्गदर्शन दिनांक 22.3.19 तथा तहसीलदार छत्तरगढ द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं. 168 दिनांक 29.3.19 के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । न्यायालय के अनुसार राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.9.18 व संशोधित आदेश दिनांक 12.11.18 पारित होने पर अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय एवं आदेश के विरुध्द माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी दायर की गयी थी, जो न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.3.19 द्वारा खारिज हो चुकी है । मा.राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी खारिज होने से राजस्व अपील अधिकारी के आदेश 28.9.18 की पुष्टि हो चुकी है । प्रकरण में तहसीलदार छत्तरगढ द्वारा पत्र दिनांक 19.3.19 राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 28.9.18 व संशोधित आदेश 12.11.18 जिसके द्वारा रेस्पोन्डेंट के पिता के आवंटन दिनांक 3.3.84 को बहाल रखा गया, की पालना हेतु पटवारी हल्का घेघड़ा को जारी किया गया है । प्रकरण में तहसीलदार छत्तरगढ द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 22.3.19 को मार्गदर्शन दिया जाकर न्यायालय आदेश की पालना में नामान्तरकरण सं0 168 दिनांक 29.3.19 स्वीकृत किया गया है। पटवारी हल्का घेघड़ा की रिपोर्ट दिनाक 22.3.19 के अनुसार उक्त विवादित भूमि चक 1आरजेडी के मु0नं0 238/36 की 25 बीघा व मु0नं0 238/44 की 22.10 बीघा कुल 47.10 बीघा अनकमाण्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आराजी दर्ज होने के आधार पर तहसीलदार छत्तरगढ द्वारा रेस्पोन्डेंट के नाम से उक्त नामान्तरकरण सं0 168 स्वीकृत किया गया है । विवादित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में आराजी राज दर्ज होने से अपीलान्ट के भागीरथ के नाम से आवंटन का कोई नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ है। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार तहसीलदार छत्तरगढ द्वारा प्रकरण में न्यायालय आदेशों की पालना में कार्यवाही की जाने से भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75–1(एफ) के अन्तर्गत इस न्यायालय में यह अपील संधारण योग्य नहीं होने से अपीलान्ट को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है । अतः यह अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकार बिन्दु पर खारिज की जाती है । पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर